भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1139

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

परिवार कल्याण समितियां

1139. श्री बृजभूषण शरण सिंहः

श्री संगम लाल गुप्ता:

श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:

श्री सी. आर. पाटिल:

श्री पी.पी. चौधरी:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के मार्गदर्शन में धारा-498ए के अंतर्गत दर्ज मामलों की निगरानी के लिए हर जिले में परिवार कल्याण समितियां (एफडब्ल्यूसी) गठित की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का जिला-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार के पास एफडब्ल्यूसी को संदर्भित मामलों से संबंधित डेटा है और यदि हां, तो उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें पक्षकारों की सहमति से समाधान हुआ है अथवा जाँच रिपोर्ट के परिणामस्वरूप भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-498 ए के अंतर्गत दोषसिद्ध हुए हैं ;

(घ) क्या सरकार के पास ऐसे मात्रात्मक आँकड़े हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि प्रत्येक जिले में परिवार कल्याण समितियों के गठन से ऐसे कृत्यों में कमी आई है जहाँ भारतीय दंड संहिता की धारा-498 ए से संबंधित मामलों में झूठे तरीके से फँसाया जाता था ; और

(ङ) यदि हां, तो सकारात्मक परिणामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : जी हां, माननीय उच्चतम न्यायालय के एक वाद, राजेश शर्मा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, आपराधिक अपील सं. 2017 का 1265, तारीख 27.07.2017 को दिए गए निर्णय के अनुपालन में, राष्ट्रीय विधिक सेवा

प्राधिकरण (नालसा) के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) द्वारा परिवार कल्याण समितियां (एफडब्लूसीएस)गठित की गई थीं ।

उसके पश्चात्, माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सोशल एक्शन फोरम फार मानव अधिकार और अन्य बनाम भारत संघ, विधि और न्याय मंत्रालय और अन्य, रिट याचिका (सिविल) सं. 2015 का 73, आपराधिक अपील सं. 1265/2017 और रिट याचिका (आपराधिक) सं. 2017 का 156, तारीख 14.09.2018 द्वारा, तारीख 27.07.2017 से पहले के आदेश द्वारा जारी निदेशों को उपांतरित किया है और वापस लिया है ।

चूंकि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निदेश वापस ले लिए गए थे और परिवार कल्याण समितियों ने तब से काम नहीं किया है, एफडब्लूसीएस द्वारा प्राप्त और सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए गए मामलों की संख्या पर डालसा के पास कोई डाटा उपलब्ध नहीं है ।

****